# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2018/2868 — लखनऊ:दिनांक 13 अगस्त 2018

**यू0पी0 नीट यू0जी0 2018 के अन्तर्गत मॉप–अप राउण्ड की समय–सारिणी तथा आवश्यक दिशा–निर्देश**

यू0पी0 नीट यू0जी0 2018 की द्वितीय चक्र की ऑन लाईन काउंसिलिंग के पश्चात रिक्त होने वाली राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पाठ्यक्रमों की सीटों पर आवटन हेतु मॉपअप राउण्ड की समय–सारिणी निम्नवत है:–

| मॉपअप राउण्ड की महत्वपूर्ण तिथियाँ | |
|---|---|
| पंजीकरण की तिथि | दिनांक 16 अगस्त 2018 (अपरान्ह 02:00 बजे) से दिनांक 18 अगस्त 2018 (अपरान्ह 03:00 बजे तक) |
| मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि | 18 अगस्त, 2018 |
| राजकीय क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0 तथा बी0डी0एस0 की सीटों पर आवंटन/प्रवेश की तिथि | 20 अगस्त, 2018 |
| निजी क्षेत्र की एम0बी0बी0एस0 की सीटों पर आवंटन/प्रवेश की तिथि | 21 अगस्त, 2018 |
| निजी क्षेत्र की बी0डी0एस0 की सीटों पर आवंटन/प्रवेश की तिथि | 23 अगस्त 2018 |
| **मॉप अप राउण्ड से आवंटित सीटों पर प्रवेश की कार्यवाही On Spot उसी तिथि को पूर्ण की जायेगी।** | |

- मॉप–अप राउण्ड का आयोजन **के0जी0एम0यू0 लखनऊ के कलाम सेण्टर** में किया जायेगा।
- माप–अप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट यू0जी0–2018 के समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को रू0 1000/– पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन प्रकिया से जमा करते हुये एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर पुनः पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- आल इण्डिया से प्रवेशित तथा प्रदेश की प्रथम व द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थी (प्रवेशित/अप्रवेशित/त्याग–पत्र) माप–अप राउण्ड के लिए अर्ह नही है।
- मॉप–अप राउण्ड के समय अभ्यर्थी को समस्त शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र व अन्य प्रपत्र मूलरूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उनके अभ्यर्थन पर कोई भी विचार नही किया जायेगा।
- राजकीय क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 30,000/– तथा निजी क्षेत्र की सीटों हेतु रू0 2,00,000/– की सिक्योरिटी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow)** के पक्ष में देय हो, को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सिक्योरिटी धनराशि किसी भी दशा में नकद (Cash) स्वीकार नही की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि पूर्व मे जमा है उन्हे पुनः सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की आवश्यकता नही है। ऐसे अभ्यर्थियो को प्रथम/द्वितीय चरण के अभिलेख सत्यापन के दौरान जमा की गयी धरोहर धनराशि के साक्ष्य के रूप में प्राप्त रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय ही अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क के रूप मे न्यूनतम **रू0 8.50 लाख** का बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow** के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा।
- निजी क्षेत्र के डेन्टल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटित बी0डी0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय ही अभ्यर्थियों को शिक्षण शुल्क के रूप में रू0 50,000/– का बैंक ड्राफ्ट जो **महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 (Director General Medical Education & Training, U.P.) Payable at Lucknow** के पक्ष में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश के उपरान्त अन्तर की धनराशि (Difference Money) अभ्यर्थी द्वारा आवंटित कालेज में जमा की जायेगी।
- मॉपअप राउण्ड के दौरान सीटे समाप्त हो जाने की स्थिति में मॉपअप राउण्ड की कार्यवाही बन्द कर दी जायेगी।
- विस्तृत विवरण हेतु महानिदेशालय की वेबसाईट ***www.updgme.in*** पर उपलब्ध नीट यू0जी0 2018 से सम्बन्धित शासनादेश तथा ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।

महानिदेशक